FORM NO. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमू

मु.न.:-286/2025 सूर्यनारायण उर्फ सुरजमल बनाम हेमन्त वगै

किस्म मुकदमाः— अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि.वि.
11.09.2025	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कुंज बिहारी कुमावत ने उपस्थित होकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चूकि है। । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) का स्वीकार किया जाता है। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को तलबी जरिये सम्मन मय नकले साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी होकर पत्रावाली वास्ते बाईन्तजार तलबी/रिपोर्ट हेतु दिनाक 06.10.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चौमूँ (जयपुर)	
6/10/25	पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश पर है अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12/11/25 को पेश हो।	
12/11/25	पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश पर है अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20/11/25 को पेश हो।	
20.11.25	वकीलो द्वारा आज कण्डोलेस रखे जाने पर पत्रावलीगत अज्ञानुसार दिनांक 12/12/25 को पेश हो।	
~~[illegible]~~ 25/11/25	अधिवक्ता वादी ने [illegible]	

प्रा० पत्र बाबत वाद विड्रा का पेश
कर निवेदन किया है कि वादी
व प्रतिवादी वाद को और नहीं
चलाना चाहते हैं और अदालत की
भावना से वाद को विड्रा करना
चाहते हैं अतः वाद को विड्रा
करने का निवेदन किया गया।
पत्रावली प्रा० पत्र का अवलोकन
किया गया। वादी का प्रा० पत्र
बाबत वाद विड्रा का स्वीकार
किया जाकर वाद को विड्रा करने
की अनुमति प्रदान की जाती है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
दर्ज रजिस्टर में [illegible] होकर
दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
30/11/25